

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(02)नविवि/डेगाना/2017

जयपुर, दिनांक: 16 FEB 2023

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ11(2)नविवि/डेगाना/2017 दिनांक 10.05.2022 को अतिक्रमण करते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर को डेगाना (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2041 तैयार करने हेतु नियुक्ति करती है :-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अंग्रेजी	हिन्दी
1.	CHANDAROON	चान्दारूण
2.	DEGANA GAON	डेगाना गांव
3.	GOREDI CHANCHA	गौरेड़ी चाचा
4.	GOREDI KARNA	गौरेड़ी करणा
5.	JHAGARWAS	झगड़वास
6.	KITALSAR	कितलसर
7.	LANGOD	लंगौड़
8.	RAWALIYAWAS	रावलियावास
9.	RENWAT	रेंवत
10.	TAMDOLI	तामडोली
11.	TILANESH	तिलानेश
12.	BAJIYASAR	बाजियासर
13.	DEVNAGAR	देवनगर

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(संचिता ब्रिश्नोई)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, नागौर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डेगाना जिला-नागौर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालवी।

11  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय